

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
अधिसूचना

दिनांक 25 जनवरी, 1994

संख्या पी0 सी0- 94/792- पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप धारा (I) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियां तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट तथा इससे संलग्न नक्शों में दर्शाए गए गांव हयातपुर, तहसील और जिला गुडगांव की राजस्व के गांव बबरौली के राजकीय प्राईमरी विद्यालय के इर्द-गिर्द नियन्त्रित क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात्:-

अनुसूची

गांव हयातपुर, तहसील और जिला गुडगांव की राजस्व सम्पदा के गांव बबरौली के राजकीय प्राईमरी विद्यालय के इर्द-गिर्द के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा-अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0टी0पी0 (जी) 415/93 दिनांक 25 मई, 1993 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तर तथा उत्तर पूर्वी : बिन्दु 'क' से लेकर अर्थात् 16 जून, 1981 को प्रकाशित हरियाण सरकार के राजपत्र अधिसूचना संख्या 10 डी0 पी0-81/8039, दिनांक 21 मई 1981 द्वारा घोषित गुडगांव नियन्त्रित क्षेत्र III की सीमा पर स्थित गांव हयातपुर की आयत संख्या 5 का उत्तर-पश्चिमी कोना, उसके बाद उक्त नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा के साथ-2 दक्षिण-पूर्व की ओर बिन्दु 'ख' तक जो गांव सिकन्दरपुर बड़ा की आयत संख्या 3 के उत्तर-पूर्वी कोना है।

दक्षिण : उसके बाद गांव सिकन्दरपुर बड़ा की आयत संख्या 3 और 4 की दक्षिणी सीमा के साथ-2 पश्चिम की ओर, उसके बाद गांव सिकन्दरपुर बड़ा की आयत संख्या 4 और 2 तथा गांव बड़ा की समकोण संख्या 28 की पश्चिमी सीमा के साथ-2 उत्तर की ओर, उसके बाद गांव बड़ा की आयत संख्या 14 तथा 15 की दक्षिणी सीमा के साथ-2 पश्चिम की ओर, उसके बाद गांव बड़ा की आयत संख्या 15 की पश्चिम सीमा के साथ-2 उत्तर की ओर, उसके बाद समकोण संख्या 9 की दक्षिण सीमा के साथ-2 पश्चिम की ओर बिन्दु 'ग' तक जो गांव बड़ा की आयत संख्या 9 का दक्षिण-पश्चिमी कोना है।

पश्चिम: उसके बाद गांव बड़ा की आयत संख्या 9 और 2 की पश्चिमी सीमा के साथ-2 उत्तर की ओर और उसके बाद गांव हयातपुर की आयत संख्या 58, 59, 29, 17, 6 तथा 5 की पश्चिमी सीमा के साथ-2 बिन्दु "क" तक अर्थात् आरम्भ के बिन्दु तक।

प्रदीप कुमार,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

126

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN.31, 1994 (MAGHA 11, 1915 SAKA)

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
Notification

The 25th January, 1994

No. PC-94/792- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (i) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby declares the area around Government Primary School at village Babrauli of revenue estate of village Hayatpur, tehsil and district Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

SCHEDULE

Schedule of boundaries of controlled area around Government Primary School at village Babrauli of revenue estate of village Hayatpur, tehsil and district Gurgaon to be read with Drawing. No DTP(G) 415/93, dated 25th May, 1993.

North and North-East: Starting from point 'A' i.e. north-western corner of Rectangle No. 5 of village Hayatpur located on boundary of Gurgaon controlled area No. III declared, - vide Haryana Government Gazette Notification No. 10DP-81/8039, dated 21st May, 1981 published on 16th June, 1981, thence towards south-east along said controlled area upto point 'B' which is the south-eastern corner of rectangle no. 3 of village Sikanderpur Badha.

South: Thence towards west along the southern boundary of Rectangle no. 3 and 4 of village Sikanderpur Badha, thence towards north along the western boundary of Rectangle no. 4 and 2 of village Sikanderpur Badha and Rectangle no. 28 of village Badha, thence towards west along the western boundary of rectangle no 14 and 15 of village Badha, thence towards north along the western boundary of Rectangle no 15 of village Badha, thence towards west along the southern boundary of Rect.No. 9 upto point 'C' which is south-western corner of Rectangle no 9 of village Badha.

West: Thence towards north along the western boundary of rectangle no 9 and 2 of village Badha and further along western boundary of rectangle no 58,59,29,17,6 and 5 of village Hayatpur upto point 'A' i.e. the point of start.

PRADEEP KUMAR
Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Town and Country Planning Department.